<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।</u>

UPUN120031142021

वाद सं0—1855/2021

राकेश कुमार बनाम अर्जुन आदि

थाना—पुरवा, जिला— उन्नाव।

दिनांक—27.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी गैरहाजिर। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण नियत है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 12.07.2025 को अभियुक्त अर्जुन को धारा 420,467,468,471,352,504 भा0दं0सं0 व अभियुक्त कुमार गौरव को धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0, के अपराध में विचारण हेतु तलब कर परिवादी को पैरवी हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु परिवादी लगातार अनुपस्थित है उसे न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किये जाने के बाबत धारा 204(3)दं0प्र0सं0 की पुनः पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया है। परन्तु उसके द्वारा उक्त पैरवी नहीं की जा रही है। तब न्यायालय द्वारा दिंनाक 19.03. 2026 को पैरवी हेतु अन्तिम अवसर दिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा पैरवी के अभाव में अन्तर्गत धारा 204(4) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद सं0 1855/2021 अन्तर्गत धारा 204(4) दं0प्र0सं0 में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।